(25)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 984–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2011 पारित द्वारा न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल, प्रकरण कमांक 37/निगरानी/2009–10.

....

1–श्रीमती मल्लिका नागर पत्नी श्री कमलचंद्र नागर
2–कमलचंद्र नागर आ0श्री जे0आर0साहू
दोनों निवासी ई–5/74, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती चन्नीबाई पत्नी स्व0श्री ज्ञानसिंह
पुत्री श्री परसराम
निवासी खजूरीकलां तहसील हुजूर जिला भोपाल
2–श्रीमती विमला रघुवंशी पत्नी श्री उत्तमचन्द रघुवंशी
निवासी सी–16 इन्द्रपुरी तहसील हुजूर भोपाल

.... अनावेदकगण

....

श्री योगेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री गुलाबसिंह चोहान, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1
श्री संजीव शर्मा, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 2

....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः 5/3/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार, एम0पी0नगर वृत्त भोपाल के समक्ष उनके भूमिस्वामी स्वत्व के ग्राम खजूरीकलां स्थित भूमि सर्वे कमांक 553 एवं 554/2/क/1 रकबा 0.50 एकड़ के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 3–2–2008 को कराया जाकर दिनांक 22–2–2008 को सीमांकन आदेश

सीमांकन आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 16–4–2010 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा 31–3–2011 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनावेदकगण का यह कहना गलत है कि सीमांकन की उन्हें सूचना नहीं दी गई और उनकी अनुपस्थिति में सीमांकन किया गया है जबकि अनावेदकगण द्वारा स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि से लगा हुआ उनका मकान है जिसमें वे निवास करते हैं अतः यह कहना उचित नहीं है कि उनकी अनुपस्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन हुआ है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है जिसे निरस्त करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । इस तर्क के समर्थन 2001 आरएन 75 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(3) सीमांकन में पंचनामा ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और पंचनामें से भी स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन गठित सीमांकन दल द्वारा विधिवत् किया गया है और पडोसी कृषक भी उपस्थित रहे हैं । पचनामें में उल्लेख है कि आवेदक की भूमि में 0.10एकड़ भूमि पर अनावेदक का कब्जा है ।

(4) गठित सीमांकन दल द्वारा सर्वे कमांक 553 एवं 554/2/क/1 का सीमांकन किया गया था परन्तु त्रुटिवश सर्वे कमांक 553 की जगह सर्वे कमांक 555 फील्डबुक में अंकित हो गया है जो तकनीकी त्रुटि है ।

(5) आयुक्त द्वारा तकनीकी आधारों पर विधिवत् सीमांकन को निरस्त करने में विधि व न्याय की भूल की गई है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये सीमांकन को संदेहास्पद मानने में त्रुटि की गई है ।

(6) व्यवहार न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20–6–2012 में स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि सीमांकन, बटांन एवं कृषि भूमि पर कब्जा वापिस जैसा बिन्दु व्यवहार न्यायालय के आदेश की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण व्यवहार न्यायालय के उक्त आदेश का विपरीत प्रभाव प्रकरण के गुणदोष पर नहीं पड़ता है।

(7) आयुक्त द्वारा मनमाना एवं पक्षपातपूर्ण आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है । यह भी कहा कि अनावेदक कमांक 1 को जारी सूचना पत्र कालूराम पर तामील हुआ है जो कि अनावेदक कमांक 1 के परिवार का सदस्य नहीं है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय से अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में आदेश हो गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही में अनावेदक कमांक 2 सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है ।

(2) नक्शे में उभयपक्ष की भूमि का रकबा त्रुटिपूर्ण दर्ज है अतः ऐसे नक्शे के आधार पर आवेदकगण द्वारा सीमांकन कराकर अनावेदकगण को भूमि से बेदखल करना चाहता है जो कि उचित कार्यवाही नहीं है ।

(3) सीमांकन पंचनामें में उल्लेख है कि मौके पर फसल खड़ी है और खड़ी फसल पर सीमांकन नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा दिनांक 26–6–2012 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के न्यायालय में दिनांक 3–2–2008 को किये गये सीमांकन को निरस्त करा लिया गया है जिसकी अपील

अभी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है । सिविल न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी होता है, अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अब दिनांक 3–2–2008 के सीमांकन की कार्यवाही का परीक्षण किया जाना उपयुक्त नहीं होगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी समाप्त की जाती है । आवेदक चाहे तो वह अपनी भूमि का दुबारा सीमांकन कराने के लिये स्वतंत्र है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर